

मैसर्स जगदम्बा मार्बल लिमिटेड, बांसवाड़ा।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बांसवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अंजनी कुमार त्रिवेदी,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 31.03.2011 के विरुद्ध पेश की गयी है जो अपील संख्या 113 / वैट / 2010–2011 / के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बांसवाड़ा (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 23 / 24 के तहत निर्धारण वर्ष 2006–07 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2009 के जरिये रिवर्स किये गये टैक्स के संबंध में कायम की गयी मांग राशि क्रमशः रु. 39,776/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये कर के आस्थगन लाभ में से 50 प्रतिशत कर की राशि को अस्वीकार कर, निर्गत कर में से आगत कर घटाने के पश्चात् शेष राशि कर संदाय योग्य होना अवधारित किये जाने संबंधी पारित निर्धारण आदेश की की पुष्टि करने संबंधी पारित अपीलीय आदेश को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में रु.19,88,785/- का विक्रय मार्बल आर्टिकल्स का कर मुक्त करना घोषित किया गया है परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर मुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर लिया गया आगत कर की मुजरा राशि को रिवर्स नहीं किया गया है। अतः उक्त स्पष्टीकरण हेतु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। जारी नोटिस की पालना में



अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे अस्वीकार कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया कि मार्बल आर्टिकल्स का निर्माण मार्बल टाईल्स से ही निर्मित होता है जो अधिनियम के तहत् कर योग्य है। अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में मार्बल आर्टिकल्स के किये गये विक्रय में से 50 प्रतिशत उक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल कीमत रु. 9,94,392/- होना अवधारित कर, 4 प्रतिशत की दर से रिवर्स कर की मांग राशियां कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005-171 दिनांक 31.03.2006 के तहत् आस्थगन योजना के तहत् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विकल्प चाहने पर इस संबंध में कर का आस्थगन लाभ उक्त अधिसूचना के तहत् स्वीकृत किया गया। फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में अधिनियम के प्रावधानों के तहत् निर्गत टैक्स (Output Tax) पर आस्थगन का लाभ आलोच्य निर्धारण अवधि में लिया गया। परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 के बिन्दु संख्या-4 व अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के आलोक में, कर संदाय में से आगत कर की राशि कम कर, इस संबंध में कर संदाय (Tax payable) की व्याख्या कर, निर्धारण आदेश पारित किया। उक्त आदेश आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यक्ति होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर इस संबंध में कथन किया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर कर चुकाकर कच्चा माल कर्य किया गया है तथा इसे मार्बल आर्टिकल्स (हैण्डीकाफ्ट्स) के विनिर्माण में काम में लिया गया है। अतः व्यवहारी द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त कीत कच्चे माल के कुल कीत मूल्य पर, इनपुट टैक्स केडिट का लाभ विधिक प्रावधानानुसार ही क्लेम किया गया है। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि इस संबंध में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स केडिट को अनुपातिक रूप से रिवर्स कर, करारोपण करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं

लगातार.....3

है। इस संबंध में माननीय राजस्थन उच्च न्यायालय के 23 टैक्स अपडेट 360 को प्रोद्धरित किया गया। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को उक्त बिन्दु पर स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेशों में “संदेय कर”(Tax Payable) की व्याख्या मनमर्जी से की है। इस संबंध में “अधिनियम” की धारा 4 व धारा 17 के प्रावधानों की ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि आरोपित कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियां विधिसम्मत एवम् उचित नहीं हैं। वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा “राजइन्वेस्ट-2003” में अंकित शब्दावली “संदेय कर”(Tax Payable) के संबंध में, जारी किया गया स्पष्टीकरण (Clarification) दिनांक 10.10.2008 व संशोधन दिनांक 10.10.2008 को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, स्पष्टीकरण व संशोधन को निर्धारण वर्ष 2006-07 की दिनांक 10.10.2008 तक लागू किया जाना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः “संदेय कर”(Tax Payable) शब्दावली की व्याख्या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं कर, इस संबंध में दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपार्स्त करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता ने उपरिथित होकर अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18(1)(g) के नीचे अंकित प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर योग्य कच्चे माल के क्रय पर, कर मुक्त माल के विक्रय के अतिरिक्त, कर योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त हुये माल पर एवम् इससे उत्पादित कर योग्य माल के राज्य में व अन्तर्राज्यिक विक्रय पर उत्पन्न कर दायित्व पर देय है। कथन किया कि प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस अनुपात में कच्चे माल का प्रयोग कर, कर योग्य माल का विनिर्माण होता है उसी अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुज्ञेय है। इसके अतिरिक्त बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में ऊपर वर्णित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि की विस्तृत विश्लेषण कर, यह अवधारित किया है

लगातार.....4

कि अधिनियम की धारा 18(1)(e) के विधिक प्रावधानों के मद्देनज़र उक्त न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य पक्ष का ही समर्थन करते हैं। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त प्रोद्धरित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18 (1)(g) के नीचे अंकित विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से विनिर्मित, कर मुक्त माल "चौकर" की बिक्री के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होना अवधारित कर, "रिवर्स- टैक्स" की मांग राशि को विधिसम्मत होना अवधारित किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि के आलोक में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में कच्चा माल के खरीद मूल्य पर क्लेम किये गये कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त की बिक्री मूल्य के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गयी है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में ₹.19,88,785/- का विक्रय मार्बल आर्टिकल्स का कर मुक्त करना घोषित किया गया है परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर मुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर लिया गया आगत कर की मुजरा राशि को रिवर्स नहीं किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधान है एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(g) के नीचे अंकित निम्न प्रावधान अतिमहत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:- “.....however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.” इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के



न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रोद्धरित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विश्लेषण कर, अधिनियम की धारा 18(1) के संबंध में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट की देयता के संबंध में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय कर बोर्ड की समन्वयपीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का अनुसरण कर निर्णय दिनांक 22.03.2012 पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, हस्तगत विवादित प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत 32 टैक्स अपडेट 03 व खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अपीलीय अधिकारी द्वारा "रिवर्स-टैक्स" की मांग राशि को अपास्त करने के निर्णय को उचित रूप से अस्वीकार किया गया है। लिहाजा, निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी "रिवर्स-टैक्स" की कायम की गयी मांग राशियों को यथावत रखा जाकर,

उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

जहां तक निर्धारण अधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत आस्थगित राशि के संबंध में पारित आदेश व इस संबंध में पारित अपीलीय आदेश का प्रश्न है, रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित ताजा विधिक स्थिति का सम्मान अध्ययन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स आरएसडब्ल्यूएम.लि., बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा मैसर्स उमा पोलीमर्स लि., बनाम राजस्थान राज्य व अन्य कमशः एस.बी. सिविल रिट पिटीशन कमांक 6903 / 2009 व 10230 / 2009 के प्रकरणों में निर्णय दिनांक 24.11.2011 पारित कर, कर संदाय (Tax Payable) के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं पर उत्पन्न विवादों का निस्तारण कर, निर्णय के पैरा—9 में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की गयी है, जो इस प्रकार है :— “.....The Contention of the Learned counsel for the assessee, though attractive is devoid of any merit and substance because it is hypothetical figure to construe ‘tax payable’ as the ‘gross tax liability’ or ‘output tax’ as defined in Section 2(24) of the VAT Act, 2003 which means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business. Section 17 of the Act with heading “Tax payable by a dealer” on the other hand clearly provides that tax payable by dealer is only after reducing input tax and letter “T” which defines net tax payable is O [(output tax) + R(reverse tax)+ P (tax payable under section 4(2)]—I (Input tax). Therefore, the ‘tax payable’ under the Rajasthan VAT Act, 2003 is nothing but ‘net tax payable’ by the assessee or manufacturer as per section 17 of the Act.....”

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित निर्णय दिनांक 24.11.2011 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कर संदाय (Tax payable) की गयी व्याख्या के प्रकाश में, शुद्ध कर (NET TAX) ही कर संदाय (Tax payable) योग्य है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कर संदाय (Tax payable) की गयी व्याख्या के प्रकाश में, विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा



अपील संख्या – 1130/2011/बांसवाड़ा

चाहा गया आस्थगन लाभ अस्वीकार करना पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है।
फलस्वरूप उक्त बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील
अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


(मदन लाल)
सदस्य